राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 504/2014
आर.के. भाटी

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, भरतपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.07.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी दिनांक 30.09.2011 को सेवानिवृत्त हुआ। अपीलार्थी को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान सेवानिवृत्ति पर नहीं किया गया। इस कारण से अपीलार्थी देरी से किये गये भुगतान पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति पर मेडिकल डायरी जारी नहीं की गई। अपीलार्थी का बीमारी पर खर्चा 1800/– रुपये माहवार होने के कारण अपीलार्थी 1800/– रुपये की राशि माहवार के हिसाब से प्राप्त नहीं कर सका। इस प्रकार अपीलार्थी को 18 माह तक 1800/– रुपये माहवार की दर से उक्त राशि का भुगतान किया जाये।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से इस अपील में जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि प्रक्रियात्मक एवं कागजी औपचारिकतायें पूर्ण करने व करवाने में अपीलार्थी को समय लगा है क्योंकि सेवानिवृत्ति परिलाभों के संबंध मे इकतरफा रूप से आदेश जारी नहीं किया जा सकता है बल्कि आदेश जारी करने से पूर्व अनेकों कागजी औपचारिकताएं अधिकारी/कर्मचारी के स्तर पर पूर्ण की जानी आवश्यक होती है। जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र जांच अनुभाग द्वारा जारी नहीं किया है तथापि सेवानिवृत्ति होने वाले

कर्मचारी/अधिकारी के सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने हेतु जांच सम्बन्धी टिप्पणी के लिये पत्रावली संस्थापन शाखा द्वारा जांच शाखा को भेजी जाती है। जांच शाखा द्वारा टिप्पणी करते हुए पत्रावली पुनः संस्थापन शाखा को प्रेषित कर दी जाती है। आलोच्य प्रकरण में संस्थापन शाखा द्वारा टिप्पणी मांगे जाने पर दिनांक 19–5–2011 को जांच शाखा द्वारा अवगत कराया गया था कि अपीलार्थी के विरूद्ध वर्तमान में प्रत्यर्थी विभाग के स्तर पर धारा 16/17 के अन्तर्गत विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है।

3. हमनें दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. जहां तक अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान देरी से किये जाने का प्रश्न है तो स्पष्ट रूप से अपीलार्थी दिनांक 30.09.2011 को सेवानिवृत्त हो गया था। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच भी विचाराधीन नहीं होना माना है। अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान समय पर नहीं किये जाने का कारण यह माना है कि आदेश जारी करने से पूर्व अनेकों कागजी औपचारिकताएं अधिकारी/कर्मचारी के स्तर पर पूर्ण की जानी आवश्यक होती है। अतः यह प्रकट नहीं हुआ है कि अपीलार्थी की गलती के कारण उसे सेवानिवृति लाभ का भुगतान देरी से किया गया है। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 89 में निम्न प्रकार से प्रावधान है :–

> ''(1) यदि सेवानिवृत्ति फायदों का भुगतान उस तारीख से, जिसको इसका भुगतान देय हो, 60 दिन के पश्चात् प्राधिकृत किया गया है, और यह सिद्ध हो जाता है कि भुगतान में विलम्ब, सरकारी कर्मचारी की ओर से, इस अध्याय में या इन नियमों में अन्यत्र अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने में असफल रहने के कारण नहीं हुआ था, तो सेवानिवृत्ति फायदों के देय होने की तारीख से उस माह, जिसमें सेवानिवृत्ति फायदे प्राधिकृत किये गये हैं, के पूर्ववर्ती माह के अन्त तक 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय होगा''

5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी के सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में जो देरी हुई है उस पर अपीलार्थी राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 89 के तहत ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को समस्त सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में हुई देरी के लिए अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 89 के तहत ब्याज का भुगतान किया जाये।

6. जहां तक अपीलार्थी के 18 माह तक 1800/–रुपये महावार के हिसाब से व्यय की राशि का भुगतान किये जाने का प्रश्न है तो अपीलार्थी ने इस संबंध में अपने ईलाज से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसे में अपीलार्थी यह साबित नहीं कर पाया है कि उसके द्वारा 18 माह तक 1800/– रुपये प्रतिमाह अपने ईलाज में खर्च किये गये। अतः अपीलार्थी की उक्त संबंध में की गई प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)